न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

निगरानी संख्याः— 463/17 (RCMS No. 2017/00493) (धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम)

तोता राम पुत्र छीतर जाति कोली निवासी डीग रोड, कस्वा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

नगर पालिका मण्डल कुम्हेर जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुम्हेर जिला भरतपुर

..... रैस्पो0

निगरानी विरूद्ध निर्णय नगर पालिका कुम्हेर दिनांक 19.07.17 एवं 20.07.17

उपस्थितिः—

1. श्री रमन लाल मित्तल वकील अपीलान्ट
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांकः—17.05.2018**

यह निगरानी नगर पालिका अधिनियम की धारा 73(2)के नगर पालिका कुम्हेर के निर्णय दिनांक 19.07.17 एवं 20.07.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तोताराम के पक्ष में आराजी ख0 नं0 1740 रकवा 0.23 का 1833 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिये दिनांक 04.07.17 को पट्टा जारी किया गया। इस संबंध में विवादित आराजी के सह खातेदारान ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजी का बॅटवारा नही होने व उक्त आराजी में से तोताराम ने अवैध रूप से रास्ता दे दिया है, कथन कर पेश किया। नगर पालिका कुम्हेर ने अपने आदेश क्रमांक 388 दिनांक 19.07.17 से पट्टा क्रमांक 192 दिनांक 04.07.17 निरस्त करने के आदेश पारित किये। दिनांक 20.07.17 को तोताराम को पत्र जारी कर उक्त पट्टे को जमा कराने के आदेश दिये। इन आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

विद्वान वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने दिनांक 26.04.17 को प्रार्थना पत्र पेश कर सुनवाई के निवेदन किया तथा एक प्रार्थना पत्र के साथ वयनामा की फोटो प्रमाणित प्रति पेश कर रास्ते का विवाद समाप्त होने से निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील

अप्रार्थी ने ''नो ऑब्जेक्शन'' अंकित किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 1740 रकवा 0.23 है0 का तोताराम पुत्र छीतर खातेदार था। तोताराम ने अपनी आराजी में से 1833 वर्गगज का कृषि भूमि से अकृषि के उपयोग में लेने का प्रार्थना पत्र मय नक्शा नगर पालिका कुम्हेर में पेश किया। नक्शे में ख0 नं0 1742 में से 1740 की तरफ रास्ता दिखाया था जबकि ख0 नं0 1741 व 1742 के खातेदार मंगल सिंह, नरेन्द्र सिंह पिसरान प्रेमचन्द, मोहनदेई सोहनदेई गोमती ललिता पुत्रीयान प्रेमचन्द जाति कोली बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं। प्रार्थी का ख0 नं0 1742 से कोई लेना देना नही है। प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 1742 में से रास्ता दिखाकर पट्टा जारी करा लिया जो गलत दस्तावेज पेश कर पट्टा जारी करा लिया था। प्रार्थी का कथन है कि ख0 नं0 1742 के खातेदार मंगल सिंह से उसका 1/6 हिस्सा जरिये वयनामा दिनांक 06.04.18 को क्रय कर लिया है इसलिये रास्ते का हल निकल गया है अब कोई विवाद नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी ख0नं0 1742 के अन्य खातेदारान भी है। सभी खातेदारान उक्त आराजी के खातेदार है। कोई निश्चित भू भाग का बेचान न होकर उक्त आराजी में से 1/6 भाग का बेचान हुआ है। जिसमें अन्य सह खातेदारान का भी हिस्सा है। विवादित आराजी का वॅटवारा नही हुआ है। विवादित आराजी ख0 नं0 1742 के प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जायेगा। ऐसी स्थिति में 1/6 भाग के वयनामा कराने से विवाद का हल नही होता है। सभी सह खातेदारान का कोई सहमति पत्र भी पत्रावली में नही है बल्कि उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश कर गलत पट्टा जारी कराना व उक्त पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उक्त गलत पट्टा जारी होने से ही नगर पालिका कुम्हेर ने पट्टे को निरस्त करने का आदेश दिया है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है। नगर पालिका कुम्हेर का आदेश दिनांक 19.07.17 एवं 20.07.17 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official